

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

### कार्यालय आदेश

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग द्वारा अपने अधिनस्थ कार्यरत विभिन्न वर्षों के वरिष्ठ अध्यापकों के नामांकन, विलोपन, संशोधन एवं योग्यता अभिवृद्धि के आदेश प्रसारित करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न वर्षों के द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक की मिश्रित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूचियों में निम्न प्रकार सेनामांकन, विलोपन, संशोधन एवं योग्यता अभिवृद्धि के आदेश प्रसारित किये जाते हैं। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिनांक 10.08.2020 को जारी किए गये आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। अतः तदनुसार संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टि कर कार्यवाही करें :-

| क्र.स. | राज्य वरिष्ठता क्रमांक | मण्डल वरिष्ठता क्रमांक | मण्डल का नाम | वर्ष    | नाम लोक सेवक/पिता का नाम मय पदस्थापन स्थान सर्व श्री/श्रीमती     | जन्म तिथि  | विशेष विवरण   |
|--------|------------------------|------------------------|--------------|---------|--|------------|---|
| 1      | 12840                  | 1545                   | जयपुर        | 2011-12 | सुनीता कांवल/कृष्ण लाल राउमावि किशनपुरा गोविन्दगढ जयपुर          | 12-09-1984 | उक्त आदेश की क्रम संख्या 13 पर दर्ज सुनीता कांवल की जाति के कॉलम में अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति पढ़ा जावे। |
| 2      | 3589(1)                | 597(1)                 | जयपुर        | 2013-14 | हरिसिंह छावल/बनवारी लाल छावल राउमावि बुर्जा की ढाणी खण्डेला सीकर | 05-07-1974 | उक्त आदेश की क्रम संख्या 20 पर दर्ज हरिसिंह छावल की जाति के कॉलम में अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति पढ़ा जावे। |

संयुक्त निदेशक, (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/वरि/के-1/11968(1)/द्विवेश्/रा.स्तर/संशो/2020  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग, राजस्थान।
2. अनुभाग अधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, ओएससी, डीपीसी प्रभाग / संस्थापक एबी अनुभाग
4. रक्षित पत्रावली/प्रभारी के-2 प्रभाग।

संयुक्त निदेशक, (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।